उत्तर प्रदेश सरकार

(32)

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग–3

संख्या बी–3–2/83/दस–81–2 (41)/77–मो0 स0

लखनऊ, दिनांक 22 मई, 1981

कार्यालय–ज्ञाप

राज्य कर्मचारियों को देय अग्रिमों पर निर्धारित ब्याज की दरों से सम्बन्धित कार्यालय ज्ञाप संख्या बी–3–4037/दस–79–2 (41)/77–मो0 स0, दिनांक 17 अक्तूबर, 1979 तथा कार्यालय–ज्ञाप संख्या बी–3–1645/दस–80–2 (41)/77मो0 स0, दिनांक 18 अप्रैल, 1980 के सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत तथा मोटर कार/मोटर साइकिल/स्कूटर/बाईसकिल क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 1980–81 में स्वीकृत अग्रिमों पर ब्याज की दरें अन्तिम रूप से निम्न प्रकार होंगी:––

1––भवन निर्माण अग्रिम (1) प्रथम 25,000 रु0 के लिए 10 प्रतिशत प्रति वर्ष।

(2) अगले 25,000 रु0 यानी 25,001 रु0 से 50,000 रु0 के लिये 11 1/2 प्रतिशत प्रतिवर्ष।

(3) अगले 20,000 रु0 यानी 50,001 से 70,000 रु0 के लिये 13 1/2 प्रतिशत प्रतिवर्ष।

2––मोटर कार अग्रिम — 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष।

3––मोटर साइकिल/स्कूटर अग्रिम } .. 10 1/2 प्रतिशत प्रतिवर्ष।

4––बाइसकिल अग्रिम }

किन्तु नियत समय पर ऋण/ब्याज के प्रतिदान/भुगतान किये जाने पर ब्याज में 3 1/2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की छूट दी जायगी। भवन निर्माण/ क्रय/मरम्मत अग्रिमों पर अपेक्षाकृत अधिक ब्याज वाले अग्रिम का समायोजन पहले किया जायेगा।

टी0 एन0 दवे,
उप सचिव।

सचिवालय के समस्त अनुभाग

संख्या बी–3–2183 (1)/दस–81–2 (41)/77मो0 स0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:––

(1) विधान सभा सचिवालय।
(2) विधान परिषद् सचिवालय।
(3) राज्यपाल सचिवालय।
(4) निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
(5) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयों के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(6) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,

टी0 एन0 दवे,
उप सचिव।